## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 140/2023 निर्णय दिनांक: 14.05.2025
ऑनलाईन नम्बर 2023/272

परताराम पुत्र सेऊराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. जेठाराम पुत्रगण परताराम जाति जाट निवासीगण बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला
2. मुखराम बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

1. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नलिखित प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 6.7200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 418 तादादी 0.01 हैक्टेयर वाकेरोही बाना का खातेदार काबिज काश्तकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र है जो कि प्रार्थी की इस खातेदारी भूमि को हड़प करना चाहते है। अप्रार्थीगण खुंखार व खतरनाक व्यक्ति है जो इस खेत पर कब्जा करने के लिए प्रार्थी को जान से मार देना चाहते है। प्रार्थी ने एक दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष इस वादगत भूमि के सम्बन्ध में परताराम बनाम जेठाराम आदि प्रस्तुत कर रखा है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली भी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर रखी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को इस वादगत खेत के सम्बन्ध में बेदखल नहीं करें, प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें परन्तु अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश की कोई पालना नहीं कर रहे है बल्कि खुले आम धमकियां दे रहे है कि हम कोई न्यायालय के आदेश की परवाह नहीं करते है और हम जबरदस्ती इस खेत पर कब्जा करेंगे। प्रार्थी ने इस खेत में ढाणी बनवा रखी है परन्तु अप्रार्थीगण इस खेत से प्रार्थी को बेदखल करने के आश्य से प्रार्थी के कब्जे में दखलअन्दाजी कर रहे है। अप्रार्थीगण को न्यायालय के अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 09.06.2023 की अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.06.2023 की जानकारी अप्रार्थीगण को होने के बाद अप्रार्थीगण बहुत ज्यादा आवेश में आ गये व Aggresive हो गये और धमकियां देने लगे कि हम न्यायालय के आदेश की प्रवाह पहरं करेंगे। प्रार्थी को हर हालत में इस खेत से बेदखल करके रहेंगे और खेत में नहीं घुसने देंगे न काश्त करने देंगे और जान से मार देंगे । दिनांक 15.06.2023 को खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 6.72 हैक्टेयर वाकेरोही बाना में प्रार्थी की बनी ढाणी पर उक्त अप्रार्थीगण व इनकी पत्नियां व महेन्द्र व अशोक नाजायज [illegible] ढाणी में घुस गये। प्रार्थी के साथ धक्का मुक्की की, थाप मुक्कों से मारपीट की [illegible] गये और शरीर पर चोटे

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:45:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पहुंचाई जिस सम्बन्ध में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण व अन्य मुलजिमानों पर मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र थाना पुलिस श्रीडूंगरगढ़ में प्रस्तुत किया परन्तु मुलजिमान प्रभावशाली होने के कारण प्रार्थी की सुनवाई नहीं हुई तो प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ में न्यायालय के माध्यम से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जो पुलिस में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण न्यायालय के अंतरिम निषेधाज्ञा की पालना नहीं कर रहे है। प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी कर रहे है, अप्रार्थीगण बलशाली व लड़ाई खोर व्यक्ति है जो इस खेत को हड़प करना चाहते है और प्रार्थी को जबरदस्ती बेदखल कर देना चाहते है। मौके पर मीडीओ की स्थिति पैदा हो गई है। वादगत खेत खसरा नम्बर 419 तादादी 6.7200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 418 तादादी 0.01 हैक्टेयर रोही बाना की भूमि व प्रार्थी के अधिकारों की रक्षा करनी आवश्यक हो गई है। अप्रार्थीगण द्वारा इस खेत को खुर्द बुर्द करने की पूरी संभावना हो गई है। मौके पर भंयकर तनाव भी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खसरा नम्बर 419 तादादी 6.7200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 418 तादादी 0.01 हैक्टेयर वाकेरोही बाना के सम्बन्ध में किसी सुयोग्य अधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से वर्तमान कब्जे के संबंध में मौका रिपोर्ट पेश की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRD-14.7.2013 पृष्ठ संख्या 482 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी के नाम खातेदारी होना स्वीकार हैं लेकिन कब्जा काश्त 2/8 हिस्सा पर अप्रार्थीगण की चली आ रही है। वादगत रकबा पैतृक रकबा हैं जिसमें अप्रार्थीगण का प्रार्थी के साथ नोशनल शेयर 2/8 हिस्सा कानुनन बनता है। वास्तविकता तो यह हैं कि वादगत भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसके सम्बन्ध में हम प्रार्थीगण ने एक दावा अनवानी जेठाराम बनाम परताराम अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय हाजा के समक्ष पेश कर रखा है जो विचाराधीन हैं जिसमें प्रार्थी को जानकारी हो चुकी थी लेकिन जानबूझकर हाजिर नही आये। हम अप्रार्थीगण स्वयं ने अपने हक हिस्सा की भूमि पर ढ़ाणी बना रखी हैं एवं सपरिवार निवास कर अपने हिस्से में काश्त करते है। वादगत भूमि पैतृक भूमि हैं एवं प्रार्थी भूमि में दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर इस प्रार्थना

3

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:45:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पत्र के माध्यम से हम अप्रार्थीगण को बेदखल करवाकर स्वयं भूमि को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा में लगा हुआ है। जिसका प्रार्थी को कोई हक अधिकार नही है। वादगत भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूंगरगढ़ के रहन हैं तथा रहन होने के कारण वादगत भूमि की मालिक बैंक है एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार प्रार्थी को नही है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पृष्ठ संख्या 517 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2024 के द्वारा रोही ग्राम बाना के खसरा नंबर 418 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खसरा नंबर 419 तादादी 6.7200 हैक्टेयर भूमि खातेदार परताराम पुत्र सेऊराम जाति जाट साकिन बाना के नाम से दर्ज। उक्त खसरा नंबर 418 व 419 पर परताराम के बेटो जेठाराम व मुखराम का कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में टयूबैल बन्द है तथा खसरा नंबर 419 पर लगभग 0.25 हैक्टेयर में मूंग, 0.25 हैक्टेयर में बाजरी व 2.00 हैक्टेयर में ग्वार की फसल काश्त की हुयी है तथा शेष 4.22 हैक्टेयर भूमि खाली है। वादगत खसरान भूमि के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,188 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत वर्तमान में जैरकार है। जिनका निर्धारण समुचित सुनवाई के उपरान्त ही किया जाना है एवं वादगत खसरान भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूंगरगढ़ के रहन दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी को कब्जे से बेदखल किया जाना एवं बैंक का हक सुरक्षित नहीं रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिसीवर नियुक्त करनें बाबत् पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:45:22 IST
Reason: SelfAttested